दूरभाष संख्या–2821025
फैक्स संख्या–2821025

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि0)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

पत्रांक– /मु0अ0/गा0क्षे0गाजि0/ दिनांकः

कार्यालय ज्ञाप

मैसर्स एस0सी0सी0 बिल्डर्स प्रा0 लि0, खसरा नं0–1010, 1011, व 1012 नूर नगर, गाजियाबाद (प्रोजक्ट एस0सी0सी0 सैफायर आवासीय बहुमंजीलिये योजना) के पक्ष में **3397 किलोवाट विद्युत भार** इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी–159 /मु0अ0गा0क्षे0गाजि0/दिनांक 05.07.2012 के द्वारा तीन चरणों में स्वीकृत किया गया था।

चरण	भार	अवमुक्ति का वर्ष
प्रथम चरण	1000 किलोवाट	जुलाई 2012
द्वितीय चरण	1000 किलोवाट	जुलाई 2015
तृतीय चरण	1397 किलोवाट	जनवरी 2016

उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र संख्या शून्य दिनांक 25.04.2014 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर उपरोक्त स्वीकृत भार को इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8030/मु0अ0/गा0क्षे0 /गा0बाद/दिनांक 07.05.2014 के द्वारा नियमानुसार पुनरीक्षित किया गया।

चरण	भार	अवमुक्ति का वर्ष
प्रथम चरण	300 किलोवाट	जनवरी 2015
द्वितीय चरण	500 किलोवाट	जनवरी 2016
तृतीय चरण	1000 किलोवाट	जनवरी 2017
चतुर्थ चरण	1597 किलोवाट	दिसम्बर 2017

उपभोक्ता के पुनः प्रार्थना पत्र संख्या शून्य दिनांक 29.07.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद की संस्तुति के आधार इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7581/मु0अ0/गा0क्षे0/गा0बाद/दिनांक 18.09.2015 के द्वारा पुनः निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया।

चरण	भार	अवमुक्ति का वर्ष
प्रथम चरण	300 किलोवाट	जनवरी 2017
द्वितीय चरण	500 किलोवाट	जनवरी 2018
तृतीय चरण	1000 किलोवाट	जुलाई 2018
चतुर्थ चरण	1597 किलोवाट	जनवरी 2019

रियल इस्टेट क्षेत्र में आई मन्दी एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क, सीवर आदि की सुविधाए उपलब्ध न कराने के कारण उपभोक्ता द्वारा पूर्व में उपरोक्तानुसार चरणबद्व रूप में स्वीकृत विद्युत भार को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया। उपभोक्ता के अनुरोध पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–सप्तम्, गाजियाबाद ने अपने पत्रांक 768/वि0न0वि0ख0–सप्तम्/गा0बाद/दिनांक 15.03.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क, सीवर आदि की सुविधाए उपलब्ध न होने के कारण एवं रीयल स्टेट में भारी मन्दी के कारण अभी अदयासी लोगो का रहना चालू नहीं हुआ है। उपरोक्त के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के भार को पुनरीक्षित किये जाने की संस्तुति की है।

अतः उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 7581 दिनांक 18.09.2015 के द्वारा **मैसर्स एस0सी0सी0 बिल्डर्स प्रा0 लि0, खसरा नं0–1010, 1011, व 1012 नूर नगर, गाजियाबाद (प्रोजक्ट एस0सी0सी0 सैफायर आवासीय बहुमंजीलिये योजना)**के पूर्व पुनरीक्षित स्वीकृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण के विद्युत भार को निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमश.........................2

Scanned by CamScanner

चरण	भार	अवमुक्ति का वर्ष
प्रथम चरण	300 किलोवाट	जनवरी 2018
द्वितीय चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2019
तृतीय चरण	1000 किलोवाट	दिसम्बर 2020
चतुर्थ चरण	1597 किलोवाट	दिसम्बर 2021

विद्युत भार स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अनुमोदन की अन्य शर्ते पूर्व स्वीकृति के अनुसार ही होगी।

(एस0के0गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (वि0)

पत्रांक–12663/मु0अ0गा0क्षे0गाजि0/तद्दिनांक 17 MAR 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–सप्तम्, गाजियाबाद।
3 मैसर्स एस0सी0सी0 बिल्डर्स प्रा0 लि0, खसरा नं0–1010, 1011, व 1012 नूर नगर, गाजियाबाद।

(विक्रम सिंह चाहर)
अधिशासी अभियन्ता(मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScanner